झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–174 वर्ष 2017

परवीन सुल्ताना, मो0 नईम की पत्नी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य द्वारा प्रधान सचिव,

   मानव संसाधन विकास विभाग, उच्च और तकनीकी शिक्षा, झारखंड सरकार

2. निदेशक, उच्च शिक्षा मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची

3. रांची विश्वविद्यालय द्वारा अपने कुलपति, रांची

4. कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची

5. निबंधक, रांची विश्वविद्यालय, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता

रांची विश्वविद्यालय के लिए :– सुश्री जे0 मजुमदार, अधिवक्ता

11 / 27.11.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्त्ता ने उत्तरदाता अधिकारियों को एक निर्देश देने के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की है वे पत्र संख्या बी0एस0यू0 / 36 / 80–5270 दिनांक 18. 11.1980 के द्वारा अनुमोदित संविधि के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें दें, जो रांची

विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्त निर्धारित करता है, जिसमें क्लॉज 21 (2) विशेष रूप से वेतन संरक्षण के लाभों का विस्तार करता है जो एक कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, जिसके द्वारा उनके वेतन का निर्धारण किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति से ठीक पहले किसी भी प्रतिष्ठान में उनके द्वारा मूल वेतन प्राप्त करने को ध्यान में रखने के बाद किया जाएगा। याचिकाकर्त्ता ने आगे अनुरोध किया है कि पटना विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने से पहले काम कर रही थी, उनके वेतन को 15,600 रू0– 39,600 रू0 के वेतन बैंड में 6,000/– रू0 के ग्रेड पे के साथ तय करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाय। याचिकाकर्त्ता ने अपने द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के अनुसार वेतन सुरक्षा का लाभ देते हुए वेतन तय करने के बाद बकाया वेतन जारी करने के निर्देश के लिए आगे प्रार्थना की है।

शुरूआत में, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रांची विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 08.06.2015 अनुलग्नक–15 और 23.06.2015 अनुलग्नक–16 के पत्रों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि इसे डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के मामले डब्ल्यू0पी0 (एस0)संख्या 4460/2010 में पारित आदेश दिनांक 08. 08.2012 के आलोक में जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्त्ता का मामला इसी तरह का है और इस तरह इस रिट याचिका को याचिकाकर्त्ता को पारिणामिक लाभ देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए निस्तारण किया जा सकता है।

श्रीमती जे0 मजुमदार, रांची विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्त्ता का मामला डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के समान पाया जाता है, तो पारिणामिक आदेश कानून के अनुसार उन्हें वही या समान लाभ प्रदान करते हुए पारित किए जाय।

रिट याचिका के रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ–साथ उत्तरदाताओं के काउंटर हलफनामे के अवलोकन से मुझे लगता है कि याचिकाकर्त्ता का मामला डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के समान है और इस तरह, याचिकाकर्त्ता भी इसी तरह के लाभों के हकदार हैं।

इन परिस्थितियों में, जैसा कि याचिकाकर्त्ता का मामला भी इसी तरह का है और पूरी तरह से डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के मामले से आच्छादित उत्तरदाताओं को सभी पारिणामिक लाभ देने के लिए याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करने के लिए निर्देशित किा जाता है और इस आशय का एक आदेश इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/उत्पादन की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किया जाय।

इस रिट याचिका को तद्नुसार उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)